

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 610]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 नवम्बर 2018—कार्तिक 23, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2018

क्र. एफ-5-21-2018-एक-(1)1202.—माननीय न्यायाधिपति श्री संजय कुमार सेठ, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जिनकी नियुक्ति भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) की अधिसूचना क्रमांक K-13025-03-2018-US.II दिनांक 09 नवम्बर, 2018 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पद पर की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 14 नवम्बर, 2018 (पूर्वाह्न 10.00 बजे) को ग्रहण किया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2018

क्र. एफ-5-21-2018-एक-(1)1203.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 5-21-2018-एक-(1)1202 दिनांक 14 नवम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. सिंह, मुख्य सचिव.

Bhopal, the 14th November 2018

No. F. 5-21-2018-One (1)-1202.—Hon'ble Judge of Madhya Pradesh High Court Shri Justice Sanjay Kumar Seth, who has been appointed as Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court *vide* Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Justice) Notification No. K-13025-03-2018-US.II, dated 09th November, 2018 has assumed the charge of his office on 14th November, 2018 (at 10.00 A. M.).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. P. SINGH, Chief Secy.

1219